खबर कोना

इंदिरा गांधी अस्पताल में बुजुर्गों के लिए ओपीडी सेवा की हुई शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जुलाई।

दिल्ली सरकार ने सोमवार को बुजुर्ग मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए द्वारका के एक सरकारी अस्पताल में विशेष बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) की शुरुआत की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इंदिरा गांधी अस्पताल में इस सुविधा का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने किया। बयान में कहा गया है कि यह समर्पित 'जेरियाट्रिक क्लिनिक' (वृद्ध चिकित्सा क्लिनिक) 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करेगा और इसमें अलग पंजीकरण, प्राथमिकता के आधार पर ओपीडी परामर्श, तथा सेवाओं व उपचार तक तेजी से पहुंच की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय पर, सुलभ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अल फलाह विवि के अध्यक्ष ने अदालत से किया अंतरिम जमानत देने का अनुरोध

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जुलाई।

धनशोधन के दो मामलों में न्यायिक हिरासत में बंद अल फलाह विश्वविद्यालय समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अपील की। सिद्दीकी ने अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी से कहा कि अंतरिम जमानत की शर्त के तौर पर वह जीपीएस ट्रैकर बैंड पहनने के लिए भी तैयार हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने दोनों मामलों में दायर अंतरिम जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए आशंका जताई कि रिहा होने पर सिद्दीकी साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके बजाय सिद्दीकी को हिरासत पैरोल पर पत्नी से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

यमुना में नहाते समय डूबे चार लड़के, तलाशी अभियान जारी

अलीपुर थाना क्षेत्र के हिरनकी गांव का मामला, नदी किनारे रखी मिलीं चप्पलें व कपड़े

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जुलाई।

लापता लड़कों में से एक अंशू के पिता श्याम बिहारी शाह ने कहा कि परिवार को रविवार शाम करीब छह बजे घटना के बारे में फोन से सूचना मिली। उन्होंने कहा कि जब हम पहुंचे तो यहां पहले से ही कई लोग खड़े थे।

अलीपुर थाना क्षेत्र के हिरनकी गांव के पास रविवार शाम करीब साढ़े सात बजे यमुना में नहाते समय नदी की तेज धारा में बह जाने से चार नाबालिग लड़के डूब गए। कई एजंसियों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन गहन तलाशी अभियान जारी रखा। खबर लिखे जाने तक चारों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला।

पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, रविवार शाम पांच नाबालिग लड़के हिरनकी गांव के पास यमुना घाट पर गए थे, जब वे नदी के किनारे पर थे, उनमें से चार पानी में उतर गए और तेज धारा में बह गए। पांचवें लड़के ने भाग कर आस-पास के लोगों को सतर्क किया, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल को सूचित किया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), दिल्ली दिल्ली दमकल विभाग (डीएफएस) और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। वे रविवार शाम से ही खोज अभियान चला रही हैं। मौके पर पहुंचने वाले पांच लड़कों में शामिल लक्की ने बताया कि वे सभी शाम करीब पांच बचे नदी के पास पहुंचे थे। उसने बताया कि घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर कीचड़ था। सभी वहीं रुक गए और शुरू में सिर्फ अपने हाथ-पैर धो रहे थे। लेकिन सौरव नदी में नहाने उतर गया और उसके पीछे-पीछे राहुल, अमनदीप और अंशू भी यमुना में उतर गए। लक्की के मुताबिक, उसने तेज बहाव को देखकर अपने दस्तों को नदी में न उतरने की चेतावनी दी थी।

नाबालिगों ने नदी में प्रवेश करने से पहले किनारे पर कपड़े और चप्पलें रखीं और वे वहां ऐसी ही पड़ी थीं। लापता लड़कों में से एक अंशू के पिता श्याम बिहारी शाह ने कहा कि परिवार को रविवार शाम करीब छह बजे घटना के बारे में फोन से सूचना मिली।

उन्होंने कहा कि जब हम पहुंचे तो यहां पहले से ही कई लोग खड़े थे। तब से हम नदी के पास इंतजार कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि अंशू 10वीं कक्षा का छात्र है। वहीं, सौरव की मां और उसकी बहन खुशी सहित अन्य लापता लड़कों के रिश्तेदार बार-बार रो रहे थे। पुलिस ने कहा कि जब तक सभी लापता लड़कों का पता नहीं चल जाता, तलाशी अभियान जारी रहेगा।

ईसीए कोटे के लिए प्रायोगिक परीक्षा की संभावित तारीख व स्थान घोषित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जुलाई।

डीयू-स्नातक दाखिला

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने स्नातक पाठ्यक्रमों में पाठ्येत्तर गतिविधियों (ईसीए) कोटा के तहत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा और परीक्षा स्थल की संभावित तारीख व स्थान घोषित किया है। अधिकतर श्रेणियों के लिए शारीरिक परीक्षा 16 जुलाई से शुरू होगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन यह परीक्षा कामन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) पोर्टल के जरिए जारी स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के बीच आयोजित करा रहा है। डीयू के मुताबिक अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए तय तारीख और समय की विस्तृत सूची एप्लीकेशन में सुधार की प्रक्रिया बंद होने के बाद 14 जुलाई तक जारी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक जिन उम्मीदवारों को परीक्षा का समय और स्थान की जानकारी प्राप्त करनी है, उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित नजर रखनी चाहिए और अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। संभावित समय सारिणी के अनुसार नृत्य, वाद-विवाद, गायन और रंगमंच के लिए प्रायोगिक परीक्षा 16 जुलाई से शुरू होंगी और रविवार को छोड़कर लगभग एक हफ्ते तक चलने की उम्मीद है। योग की प्रायोगिक परीक्षा 17 जुलाई से शुरू होंगे और लगभग दो दिनों तक चलेगी।

संभावित समयसारिणी के अनुसार नृत्य की प्रायोगिक परीक्षा भारती कालेज में होने की उम्मीद है, जबकि वाद-विवाद की प्रायोगिक परीक्षा रामजस कालेज में होगी। जाकिर हुसैन दिल्ली कालेज (संध्या पाली) में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की परीक्षा 20 जुलाई को होगी, जबकि ललित कला की प्रायोगिक परीक्षा उसी दिन शुरू होकर तीन से चार दिनों तक चलेगी। रचनात्मक लेखन और वाद्य यंत्र वादन परीक्षा के साथ ही डिजिटल मीडिया श्रेणी की प्रायोगिक परीक्षा 21 जुलाई से शुरू होगी।

विश्वविद्यालय ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग नोडल कालेज तय किए हैं। रंगमंच की प्रतियोगिता के लिए मिरांडा हाउस, गायन के लिए माता सुंदरी कालेज फार विमेन, वाद्ययंत्र वादन के लिए श्रीअरबिंदो कालेज (सुबह पाली), रचनात्मक लेखन के लिए हंसराज कालेज, डिजिटल मीडिया के लिए महाराजा अग्रसेन कालेज, ललित कला के लिए आत्माराम सनातन धर्म कालेज परीक्षा स्थल होंगे। एनसीसी और एनएसएस श्रेणी के लिए कोई शारीरिक परीक्षा नहीं होगी।

'महिला समृद्धि योजना' होगी अब 'दिल्ली लक्ष्मी योजना'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जुलाई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, लाखों जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल।

दिल्ली सरकार ने 'महिला समृद्धि योजना' का आधिकारिक नाम बदलकर अब 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' रख दिया है। इस योजना को रक्षाबंधन के आस-पास शुरू करने का लक्ष्य है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। बता दें कि, इस योजना के लिए पात्रता संबंधी मानकों को भी तय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' से लाखों जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा।

इस योजना के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से पहुंचे तथा इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा न आने पाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और जीवन जीने का मजबूत आधार उपलब्ध करा रही है। हमारा विश्वास है कि जब घर की महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी, तब परिवार, समाज और राष्ट्र, तीनों की प्रगति को नई गति मिलेगी।

निर्माण स्थलों की होगी सीधी निगरानी

एआइ संचालित 'डस्ट पोर्टल 2.0' जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जुलाई।

लगाए जाएंगे 70 लाख पौधे : रेखा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को माडल टाउन विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में पौधरोपण किया। इस दौरान माडल टाउन क्षेत्र में लगभग 1,100 पौधे लगाए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्लीवालों की सहभागिता से 70 लाख पौधरोपण का संकल्प पूरा हो पाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एआइ संचालित 'डस्ट पोर्टल 2.0', 'डस्ट पाल्यूशन कंट्रोल सेल्फ-असेसमेंट वेब पोर्टल' और मोबाइल एप्लिकेशन को जारी किया। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से विकसित यह अत्याधुनिक डिजिटल मंच एआइ की सहायता से निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की वास्तविक समय में निगरानी करेगा।

इसके माध्यम से परियोजना संचालकों को स्व-मूल्यांकन की सुविधा मिलेगी और डेटा आधारित निगरानी और प्रवर्तन को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान 'डस्ट पोर्टल 2.0' का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार एआइ निगरानी व्यवस्था को अधिक कुशल, सटीक और प्रभावी बना सकती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई केवल सख्त नियमों से नहीं, बल्कि आधुनिक और स्मार्ट प्रशासनिक प्रणालियों से भी लड़ी जाएगी। 'डस्ट पोर्टल 2.0' निर्माण स्थलों पर धूल प्रदूषण की निगरानी और प्रबंधन की प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। यह मंच सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक निर्माण एजंसी स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदार बने।

लालकिला धमाका मामला

शवों के अवशेषों के अंतिम संस्कार की मिली अनुमति

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जुलाई।

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) को लालकिले के पास पिछले साल नवंबर में कार बम धमाके में मारे गए 11 लोगों के अवशेषों का अंतिम संस्कार या निपटान करने की सोमवार को अनुमति प्रदान कर दी।

विशेष न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने एजंसी को आत्मघाती विस्फोट में मारे गए कार चालक उमर उन नबी के शरीर के अंगों के निपटान की भी इजाजत दे दी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जैविक अवशेषों का निपटान संबंधित धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गरिमा के साथ किया जाना चाहिए।

एनआइए ने अदालत को बताया कि मृतकों और आत्मघाती हमलावर नबी के शरीर के अवशेषों से फारेंसिक साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। जांच एजंसी ने मृतकों के अंगों के निपटान के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी, क्योंकि वे सड़ने लगे थे। एनआइए ने पिछले साल दस नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने वाले उच्च तीव्रता के आइईडी विस्फोट के मामले में 14 मई को 7,500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। पिछले महीने, एनआइए ने विस्फोट में शामिल होने के आरोप में तीन और लोगों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया। इनमें एक फरार बाल रोग विशेषज्ञ भी शामिल है, जिसकी पहचान आतंकी तंत्र के संस्थापक सदस्य के तौर पर हुई है। इस मामले में नबी सहित 13 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जा चुका है।

भूख हड़ताल का 16वां दिन

वांगचुक का वजन 8.2 किलो घटा, आतिशी ने दिया समर्थन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 13 जुलाई।

राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद एवं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का वजन 8.2 किलोग्राम घट गया है और उनका रक्तचाप गिरकर 67 एमएम एचजी (मिलीमीटर इन मर्करी) हो गया है। काकरोच जनता पार्टी (काजपा) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने केंद्र से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान देने की अपील की, उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी है।

नीट सहित अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर यहां जंतर-मंतर पर काकरोच जनता पार्टी (काजपा) का विरोध-प्रदर्शन सोमवार को 24वें दिन जारी रहा। दिपके ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस मुद्दे को अहंकार की लड़ाई न बनाएं और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ध्यान दे। दिपके ने कहा कि अपनी गलती मानना कमजोरी की निशानी नहीं है। यह परिपक्वता, जवाबदेही और अपनी गलती सुधारने की इच्छा का संकेत है। हम बस जवाबदेही चाहते हैं।

वहीं सोमवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया और आंदोलन के प्रति एकजुटता जताई। दिपके और सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद आतिशी ने सोशल मंच 'एक्स' पर कहा कि सोनम की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। वे इस देश के युवाओं के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोनम और युवा पीढ़ी को सलाम।

- दिल्ली की खबरें देखें पेज 21

नियुक्तियां

AIC-GBU Incubation Council
GAUTAM BUDDHA UNIVERSITY
Gr. Noida-201312, UP, India
Email: aic-gbuic@gbu.ac.in | Website: https://gburif.org
Advt. No. AIC-GBUIC/Recruitment/2026/001
Start Date: 08th July, 2026 | Last Date 29th July, 2026
AIC-GBU Incubation Council, a Section 8 Not-for Profit Company under Gautam Buddha University invites application for the following Contractual posts:

SN	Name of the post	Remuneration	Total Post	Age limit
1.	Chief Executive officer (CEO	Rs. 1,20,000/pm	01	40
2.	Manager	Rs. 50,000/pm	01	30

For more details, visit: www.gbu.ac.in, https://gburif.org Director-AIC-GBUIC

Delhi Nagrik Sehkari Bank Ltd. invites applications from candidates aged 18 years and above for recruitment on permanent basis for 1 post of Jr. Clerk (Min. Qual. 12th Pass) & 2 posts of Clerks (Min. Graduate). The Bio-data, self attested copies of qualifications/ Experience & 2 photos be sent only by Speed Post to "The CEO, Delhi Nagrik Sehkari Bank Ltd., 3C/5, New Rohtak Road, New Delhi-110005 to reach latest by 5 p.m. on 20.07.2026. No application will be accepted after the last date. The incomplete application will be rejected. Shortlisted candidates may be called for an Interview.
CEO
14.07.2026 Tel: 011-41418761

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
अंचल कार्यालय प्रथम तल, ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड, विपीन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
प्रधान कार्यालयः लोकमान्य, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-5
दूरभाषः टेलीफोन / फैक्स : 0522-2739259/60
ई-मेल : recovery_luc@bankofmaharashtra.bank.in

आधिपत्य नोटिस (चल/अचल सम्पत्ति) नियम 8 (1)

अधोहस्ताक्षरकर्ता बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) सपठित नियम 8 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित ऋणधारियों एवं जमानतदारों को बकाया देय राशि सहित 60 दिनों की समयावधि में भुगतान करने हेतु नोटिस दिया गया था। ऋणग्रहिता राशि का भुगतान करने में असफल रहा, ऋण ग्रहिताओं और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम (8) के साथ उपरोक्त वर्णित संपत्तियों को सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया गया है। बैंक को बंधक की गई संपत्ति का विवरण, आधिपत्य आदि की जानकारी इस प्रकार है :-

क्र. सं.	ऋणी एवं जमानतकर्ता का नाम व पता	नोटिस के अनुसार बैंक को देय राशि	बंधक/दृष्टिबंधक रखी चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस दिनांक / कब्जा दिनांक
शाखा : मऊरानीपुर				
1.	1.श्री रेहान मंसूरी पुत्र अब्दुल नासिर (ऋणी) पता-रसफड़िया, मऊ देहात, मऊरानीपुर, झाँसी-284204 2.श्रीमती कनिजा बेगम पत्नी अब्दुल नासिर (जमानतकर्ता) पता- रसफड़िया, मऊ देहात, मऊरानीपुर, झाँसी- 284204	रु0 14,83,281.12/- + अप्रयुक्त ब्याज दिनांक 28.02.2026 से प्रभावी + पीनल ब्याज एवं अन्य शुल्क/खर्चे	साम्पिक बंधक,संपत्ति सभी भाग व हिस्से प्लॉट नंबर 987 (क्षेत्रफल 130.10 वर्ग मीटर) स्थित मौजा मऊ तहसील मऊरानीपुर क्षेत्रफल 1400.00 वर्ग मीटर चौहद्दीः उत्तर- सरकारी जमीन दक्षिण- 18 फीट चौड़ी सड़क पूर्व- साहू जी का प्लॉट पश्चिम- श्रीमती बफ़्तान बेगम का प्लॉट	07.04.2026 / 09.07.2026
2.	1.रामप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र गुलजारी पता- ग्राम जलालपुरा, पोस्ट खजूरा जिला. झाँसी पिन 284203 2.सुनीता देवी पत्नी रामप्रकाश उर्फ प्रकाश पता- ग्राम जलालपुरा पोस्ट खजूरा जिला. झाँसी पिन 284203 3. सुनीता देवी पत्नी रामप्रकाश उर्फ प्रकाश पता 2- खसरा नंबर 219, ग्राम-मैलोनी, लहचूरा रोड, तहसील मऊरानीपुर, जिला झाँसी, उ.प्र. पिन-284203	रु0 19,38,705.00 + अप्रयुक्त ब्याज दिनांक 10.04.2026 से प्रभावी + पीनल ब्याज एवं अन्य शुल्क/खर्चे	संपत्ति के सभी भाग व हिस्से और संख्या खसरा नंबर 219, ग्राम- मैलोनी, लहचूरा रोड, तहसील- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी, उ.प्र. क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट/ 92.93 वर्ग मीटर चौहद्दीः उत्तर- 20 फीट चौड़ी सार्वजनिक सड़क, दक्षिण- जंडेल सिंह की जमीन, पूर्व- श्री भीकम विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम- श्री भीकम विक्रेता का प्लॉट।	22.04.2026 / 09.07.2026

ऋणग्रहिताओं/बंधककर्ताओं को विशिष्टतः और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा उपरोक्त संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त खातों की वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रभार के अनुसार होगा। ऋण ग्रहिताओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(8) की ओर बंधक सम्पत्ति को वापस लेने हेतु आकर्षित किया जाता है।
इस नोटिस के जरिए बैंक ऊपर बताए गए सभी ऋणियो, जमानतकर्ताओं और गिरवी रखने वालों को यह सूचित कर रहा है कि वे इस नोटिस के 30 दिनों के भीतर अपनी गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ा लें। 30 दिन पूरे होने के बाद, बैंक गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेचकर या नीलाम करके अपना बकाया वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा।
दिनांकः 09.07.2026 स्थानः मऊरानीपुर प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र

GOODYEAR
गुडईयर इंडिया लिमिटेड
(CIN: L25111HR1961PLC008578)
पंजीकृत कार्यालयः मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला-फरीदाबाद)- 121004, हरियाणा, भारत
टेलीफोन: 0129-6611000
ई-मेल: goodyearindia_investorcell@goodyear.com, वेबसाइट: www.goodyear.co.in

65वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि गुडईयर इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की 65वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को प्रातः 10:00 बजे भारतीय मानक समय (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो माध्यम ("वीसी/ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र संख्या 3/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 एवं अन्य लागू परिपत्रों के अनुरूप आयोजित की जाएगी। बैठक में किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। इस एजीएम का अभिहित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
2. एमसीए के सर्कुलर के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, केवल उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित होकर भाग ले सकेंगे। एजीएम में सम्मिलित होने तथा दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना में शामिल किया जाएगा। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.goodyear.co.in/investor-relations तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।
3. ईमेल पते रजिस्टर/अपडेट करने की प्रक्रिया:
   (क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले जिन सदस्यों का ई-मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत नहीं है, वे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म आईऐसआर-1 पैनआधार से लिंक, आधार कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित स्कैन प्रतियां कंपनी के ई-मेल goodyearindia_investorcell@goodyear.com अथवा आरटीए के ई-मेल srikant@skylinerta.com पर भेजकर एजीएम की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन तथा ई-वोटिंग संबंधी विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
   (ख) जिन सदस्यों के डीमैट फ़ॉर्म में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपना ई-मेल पता पंजीकृत अथवा अपडेट कराएं।
4. लाभांश
   निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु.10/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर रु.26.50/- प्रति शेयर अंतिम लाभांश हेतु रिकॉर्ड का फ़ाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जो एजीएम में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन होगा। अंतिम लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि 05 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है।
5. लाभांश प्राप्त करने हेतु बैंक विवरण पंजीकरण
   (क) सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (पाँचवां संशोधन) विनियम, 2025 तथा 06 फरवरी, 2026 के सेबी मास्टर परिपत्र के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को लाभांश केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दिया जाएगा, बशर्ते उन्होंने अपनी केवाईसी जानकारी (ई-मेल, डाक पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, पैन, आधार आदि) कंपनी के साथ पूर्ण/अपडेट कर दी हो। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी केवाईसी जानकारी शीघ्र अपडेट करें।
   (ख) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपनी केवाईसी जानकारी एवं ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपडेट करें।
6. यदि एजीएम में अंतिम लाभांश स्वीकृत हो जाता है, तो उसका भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 05 अगस्त, 2026 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
7. आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है तथा कंपनी को निर्धारित दरों पर लाभांश भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए लागू कर दरों की जानकारी हेतु सदस्य आयकर अधिनियम, 2025 एवं उसके संशोधनों का संदर्भ लें। अधिक जानकारी के लिए एजीएम की सूचना के नोट संख्या 12 का अवलोकन करें।

कृते गुडईयर इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
अनूप कर्णवाल
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
दिनांक: जुलाई 13, 2026
स्थान: गुरुग्राम